L. A. BILL No. XVII OF 2021.

A BILL

TO AMEND THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ACT, 2020, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १७ सन् २०२१।

महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार संबंधी विधेयक २०२१।

सन् २०२० का २० । **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम, २०२० में संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तर वे वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकें।

सन् २०२० का अधिनियम क्रमांक २० की धारा १ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति के लिए कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम, २०२० (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १ की, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०२० का २०।

"(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सकें।"।

सन् २०२० का अधिनियम क्रमांक २० की धारा २ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(१) खण्ड (क) के पूर्व, निम्न खण्ड, जोड़े जायेगे, अर्थात् :—

"(१क) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य, धारा १४ की उप-धारा (४) में यथा विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी से है ;

(२) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ख-१) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य, धारा १४ की उप-धारा (१) में यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से है ;";

(३) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ञ-१) "न्यूनतम समर्थन मूल्य" का तात्पर्य, कृषक लागत मूल्य आयोग के साथ परामर्श में केंद्र सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए घोषित मूल्य, से है ;";

(४) खण्ड (ड़) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ड़) "विहित" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए जानेवाले नियमों द्वारा विहित, से है ।"।

सन् २०२० का अधिनियम क्रमांक २० की धारा ५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ के परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़े जायेगे, अर्थात् :—

परंतु यह और कि, फसल की विक्री या खरीद के लिए कृषि करार तब तक वैध नहीं होगा जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान या उससे अधिक कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है :

परंतु यह और भी कि, कृषक और प्रायोजक की परस्पर सहमति से दो वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे फसल की बिक्री और खरीद के लिए कृषि करार बनाया जा सकेगा :

परंतु यह और भी कि, फसल के लिए, जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है, वहाँ कृषि करार के अधीन कृषकों को भुगतान की जानेवाली कीमत, किसान और प्रायोजक की परस्पर सहमति से विनिश्चित होगी।"।

सन् २०२० का अधिनियम क्रमांक २० की धारा १४ की प्रतिस्थापना।

५. मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

विवाद निपटान के लिए यंत्रणा।

"**१४.** (१) जहाँ कृषि करार, अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (१) के अधीन यथा आवश्यक सुलह प्रक्रिया के लिए उपबंध नहीं करता है या कृषि करार के पक्षकार सुलह प्रक्रिया के प्रारम्भण के दिनांक से तीस दिनों के भीतर उक्त धारा के अधीन उनके विवाद का निपटान करने में असफल होते है तब, कृषि करार के अधीन विवादों का निपटान करने के लिए, विहित किया जाए ऐसे सक्षम प्राधिकारी को, कोई ऐसा पक्षकार पहुँच मार्ग दिखाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन विवाद की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी यदि,—

(क) कृषि करार, ऐसे विवादों के निपटान के लिए सुलह प्रक्रिया, सुलह बोर्ड के संघटन का उपबंध नहीं करता है ; या

(ख) पक्षकार, सुलह प्रक्रिया के जरिए उनके विवादों का निपटान करने में असफल होने पर, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे विवाद की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर संक्षिप्त रीत्या में विवाद को सुनिश्चित करेगा और निम्न शर्तों के अध्यधीन, जैसा वह उचित समझें, ऐसी शास्ति और ब्याज के साथ, विवाद के अधीन रकम की वसूली के लिए कोई आदेश पारित करेगा, अर्थात् :—

(एक) जहाँ प्रायोजक, किसान को देय रकम का भुगतान करने में असफल होता है, वहाँ ऐसी शास्ति देय रकम से डेढ़ गुना बढाई जा सकेगी ;

(दो) जहाँ कृषि करार के अनुसार किसी अग्रिम भुगतान का या निवेश की लागत के कारण प्रायोजक की देय रकम की वसूली के लिए आदेश कृषक के विरुद्ध होता है, वहाँ ऐसी रकम प्रयोजक द्वारा वास्तविक लागत उपगत से अधिक नहीं होगी ;

(तीन) जहाँ विवाद में कृषि करार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है या कृषक द्वारा भुगतान न करना यह अपरिहार्य घटना के कारण है, तब कृषक के विरुद्ध राशि की वसूली का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

सन् १९०८ का ५। (३) इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, उसी तरह प्रवृत्त होगा जैसे सिविल न्यायालय की डिक्री होती है और वह उप-धारा (४) के अधीन किसी अपील को वरीयता नहीं दी जाती है तब तक सिविल प्रक्रिया की संहिता, १९०८ के अधीन डिक्री के रूप में उसी रीत्या में लागू किया जा सकेगा।

(४) सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई पक्षकार, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(५) अपीलीय प्राधिकारी, तीस दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

सन् १९०८ का ५। (६) इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, सिविल न्यायालय के डिक्री के रुप में उसी तरह प्रवृत्त होगा और उसी रीत्या में लागू किया जा सकेगा जैसे वह सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन डिक्री हो।

(७) सक्षम प्राधिकारी या, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश के अधीन देय रक्कम भू-राजस्व के बकाए के रुप में वसुल की जा सकेगी।

(८) सक्षम प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन विविदों का विनिश्चय करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों कों हाजिर करने, तात्विक सामग्री दस्तवेजों और अन्य महत्वपूर्ण चीजों का प्रकटीकरण और पेश करने के लिये बाध्य करने के प्रयोजन के लिये और जैसा कि विहित किया जाये ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।

(९) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष याचिका या कोई आवेदन दाखिल करने या अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दाखिल करने की रीति और प्रक्रिया, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी होगी।

६. मूल अधिनियम की धारा १७ में, " उप-प्रभागीय प्राधिकारी " शब्दों के स्थान में, " सक्षम प्राधिकारी " शब्द रखे जायेंगे। सन् २०२० का अधिनियम क्रमांक २० की धारा १७ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा १८ में, " उप-प्रभागीय प्राधिकारी " शब्दों के स्थान में, " सक्षम प्राधिकारी " शब्द रखे जायेंगे। सन् २०२० का अधिनियम क्रमांक २० की धारा १८ में संशोधन।

सन् २०२० का अधिनियम क्रमांक २० की धारा १९ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १९ में, " उप-प्रभागीय प्राधिकारी " शब्दों के स्थान में, " सक्षम प्राधिकारी " शब्द रखे जायेंगे।

सन २०२० का अधिनियम क्र. २० में नई धारा २१क का निवेशन।

९. मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

किसानों के उत्पीड़न के लिए शास्ति।

२१क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति, या कंपनी, या निर्गमित गृह या अन्य कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या ना हो, उत्पीड़न का अपराध करता है तो वह तीन वर्षों से कम न हो ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण .— इस धारा के प्रयोजन के लिए जहाँ प्रायोजक, कृषि करार के अनुसार समय में किसान का भुगतान करने में असफल होता है या किसान को करार में पाया गया प्रतिफल की अदायगी करने में असफल होता है वह उत्पीड़न का अपराध किया है, ऐसा माना जायेगा।

सन् २०२० का अधिनियम क्र. २० की धारा २३ की प्रतिस्थापना।

१०. मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान में निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :–

नियम बनाने की शक्ति।

" **२३ (१)** राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हों, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हो या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो ऐसा निर्णय **राजपत्र** में अधिसूचित करते है, तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों, प्रभावी होगा, या, यथस्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।

११. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत होः

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारभ्मण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

संसद ने, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम, २०२० (सन् २०२० का केंद्रिय अधिनियम क्रमांक २०) (जिसे इसमें आगे " केंद्रिय अधिनियम " कहा गया है) यह ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में, पारस्पारिक रुप सें तय पायी गयीं लाभकारी कीमत रुपरेखा पर, कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादकों के विक्रय के लिये कृषि कारोबार फर्मों, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बडी संख्या में खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं और उनको सशक्त करने के लिये, राष्ट्रीय रुपरेखा के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

२. केंद्रिय अधिनियम में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि करार करने के लिए उपबंध नहीं है। धारा १४ कृषकों के लिए विवाद सुलह यंत्रणा का उपबंध करती है। उक्त धारा में, कृषक और प्रायोजकों के बींच में, विवाद हल करने के लिए प्रभागीय मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी है और कलकटर अपीलीय प्राधिकारी है। राजस्व प्राधिकारियों जैसे कि प्रभागीय मजिस्ट्रेट और कलकटरों पर कार्य के बोझ को ध्यान में रखकर कृषकों और प्रायोजक के बीच के विवादों को हल करने के लिए, पर्याप्त समय देना यह उनके लिए संभव नहीं है। यह भरोसा दिलाने के लिए कि कृषकों को उनके कृषि उत्पाद की कीमत समय के भीतर प्राप्त हो जाए, प्रायोजक को शास्ति के लिए उपबंध प्रस्तावित किया गया है।

३. किसानों का हित प्रभावी रूप से संरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम, २०२० संशोधन करना इष्टकर समझा है,

विधेयक में निम्न संशोधनों को प्रस्तावित किया है,—

(क) धारा ५ में, यह प्रस्तावित किया गया है कि,—

(एक) कृषक करार तब तक वैध नहीं होगा जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान या उससे अधिक की कीमत का कृषक को भुगतान नहीं किया जाता है ;

(दो) कृषक और प्रायोजक की परस्पर सहमति से, दो वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे का कृषक करार बना सकेंगे ;

(तीन) जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है, तब उस फसल के लिए कृषक और प्रायोजक परस्पर सहमत कीमत से कृषक करार में प्रवेश कर सकते है ;

(ख) धारा १४ में, कृषक और प्रायोजक के बीच के कृषक करार से बाहर कोई वाद उद्‌भूत होने के मामले में, पक्षकार विवाद के विनिर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी को पहुँच मार्ग दिखाएगा। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का उपबंध भी किया गया है ;

(ग) कृषक को उत्पीड़न के लिए तीन वर्षों से कम न हो वर्ष के कारावास दण्डित करने के लिए भी उपबंध बनाया गया है ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियम करने की शक्ति के लिए भी उपबंध किया गया है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ६ जुलाई, २०२१।

दादाजी भुसे,
कृषि मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १(३).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, जैसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे सके ऐसे दिनांक पर, अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तन में लाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जैसे राज्य सरकार नियत करे ऐसे दिनांक पर कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम, २०२० के उपबंधों को प्रवर्तन में लाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय मूल अधिनियम की धारा १४ की प्रतिस्थापना करना है,—

(क) उप-धारा (१) में, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(ख) उप-धारा (४) में, राज्य सरकार को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपिल प्रस्तुत करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(ग) उप-धारा (८) में, राज्य सरकार को, इस धारा के अधीन विवादों का विनिर्णय करने के लिए ऐसे अन्य प्रयोजनों को विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(घ) उप-धारा (९) में, राज्य सरकार को, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष याचिका याय कोई आवेदन दाखिल करने और अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दाखिल करने की रीति और प्रक्रिया विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १०.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय मूल अधिनियम की धारा २३ की प्रतिस्थापना करना है, जिसमें उप-धारा (१) में, राज्य सरकार को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन कार्यान्वित करने के लिए **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ११.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, कोई कठिनाई जो अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उद्भूत हो सकेगी का निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांक ६ जुलाई, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई